<u>दिनांक 27 मई 2022 को सुबह 11 बजे बैठक कक्ष, बराद सदन शैक्षणिक खंड में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 40वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 27 मई 2022 को सुबह 11 बजे बैठक कक्ष, बराद सदन में कार्यकरिणी परिषद की 40वीं बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. एच.सी.एस. राठोर पूर्व कुलपति दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	-	सदस्य
3.	प्रो. इंदर मोहन कपाही प्रोफेसर एवं सलाहकार मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय	-	सदस्य
4.	प्रो. एन. सत्यनारायण डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
5.	प्रो. मनेश चौबे डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
6.	प्रो. संजय दाहाल डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ एवं छात्र कल्याण डीन	-	सदस्य
7.	प्रो. एस.एस. शर्मा वरिष्ठ प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
8.	डॉ. ए. एन. शंकर सह प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
9.	श्री के.वी.एस.कामेश्वर राव कुलसचिव	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्यों ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में ऑनलाइन उपस्थित रहें :

10.	प्रो. गुरमीत सिंह कुलपति पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय	-	सदस्य
11.	प्रो. बिद्युत चक्रवर्ती कुलपति विश्व-भारती	-	सदस्य
12.	प्रो. एस.एस.महापात्र डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य

श्रीमती कुंजिनी पी. दर्नाल, जनसम्पर्क अधिकारी एवं उप कुलसचिव (प्रभारी), श्रीमती कल्पना राणा, अनुभाग अधिकारी और श्री सत्यम राणा, सहायक कार्यकारिणी परिषद की बैठक में सहायता प्रदान करने हेतु उपस्थित थे।

प्रारंभ में कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्यों का 40वीं बैठक में स्वागत किया। कुलपति ने कार्यकारी परिषद में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निम्नलिखित सदस्यों के योगदान को भी अभिलेखित किया :

1. श्री जी.पी.उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
2. प्रो. रमेश कुमार यादव, कुलपति, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय
3. प्रो. कृष्ण कुमार, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समुद्र, नदी, वातावरण और भूमि विज्ञान केंद्र, आईआईटी खड़गपुर
4. प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा , प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग , केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय , रानीपूल
5. प्रो. लक्ष्मण शर्मा, पूर्व छात्र कल्याण डीन, सिक्किम विश्वविद्यालय

इसके बाद, एजेंडा में उल्लेखित विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी :

खंड-1
बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

का.प 40.1.1: दिनांक 23 दिसंबर 2021 को आयोजित कार्यकरिणी परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 23 दिसंबर 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 11.01.2022 को सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 23 दिसंबर 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 39वीं बैठक का कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

का.प40.1.2: दिनांक 23 दिसंबर 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने कार्यकारिणी परिषद की 39वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2
सूचनात्मक विषय

का.प40.2.1: प्रो. मोहम्मद यासीन, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग की अधिवर्षिता

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि प्रोफेसर मोहम्मद यासीन , राजनीति विज्ञान विभाग दिनांक 31.12.2021 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 362/2021 के तहत 31.12.2021 (अपराह्न) को राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर के पद से अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए। कार्यकरिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि सेवापंजी की रिकॉर्ड के अनुसार प्रो. यासीन की जन्म तिथि 01.01.1957 है।

का.प 40.2.2: त्रिशक्ति सैन्य-दल (ब्लैक कैट डिवीजन, गंगटोक) के साथ समझौता ज्ञापन

कार्यकारी परिषद ने 26.07.2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 37वीं बैठक में भारतीय सेना के सिक्किम विश्वविद्यालय और त्रिशक्ति सैन्य-दल (ब्लैक कैट डिवीजन, गंगटोक) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अनुमति दी गयी। उक्त समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सिक्किम विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा पूर्वी कमान तिब्बतोलॉजी कैडर में तैनात नामित सैन्य अधिकारियों को निर्देशात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए और अन्य प्रशासनिक कारणों से पिछले वर्ष और इस वर्ष की पहली तिमाही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। दोनों संस्थानों की सुविधा के अनुसार दिनांक 14.05.2022 को ब्लैक कैट डिवीजन, गंगटोक में एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया, जहां सिक्किम विश्वविद्यालय और भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यकारिणी परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय और त्रिशक्ति सैन्य-दल (ब्लैक कैट डिवीजन , गंगटोक) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से संबन्धित उपर्युक्त सूचना को नोट किया।

खंड - 3
अनुसमर्थित विषय

का.प40.3.1: सुश्री स्वस्तिका प्रधान का अध्ययन अवकाश

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि सुश्री स्वास्तिका प्रधान, सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग ने दिनांक 02.05.2022 से 02.05.2023 तक 1 वर्ष के अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। वह राजनीति विज्ञान विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय में पीएचडी पाठ्यक्रम की पंजीकृत विद्वान हैं।

कार्यकारिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि सुश्री स्वस्तिका प्रधान ने दिनांक 23.11.2015 को विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 22.11.2018 को नियमित पद पर 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। इस संबंध में राजनीति विज्ञान विभाग के साथ चर्चा की गई और विभाग ने सामूहिक रूप से उनके आवेदन पर विचार करने की सिफारिश की। कुलपति ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और छह महीने के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया और अगले छह महीने का अवकाश पहले छह महीने की प्रगति पर निर्भर होंगे , बशर्ते कि कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुसमर्थित हो।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति द्वारा सुश्री स्वास्तिका प्रधान को अध्ययन अवकाश प्रदान करने , जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, की कार्रवाई की पुष्टि की।

का.प 40.3.2: शिक्षण कर्मचारियों के अनुबंध अवधि का विस्तार

कार्यकरिणी परिषद ने यह नोट किया कि निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों के अनुबंध नीचे प्रत्येक के सामने उल्लेखित तिथि से समाप्त हो गया है

क्र.सं	नाम	विभाग	अनुबंध समाप्त होने की तिथि
1.	डॉ. चन्द्र कान्त सखाराम लोनकर	शिक्षा	04.04.2022
3.	श्री बप्पादित्य अधिकारी		05.05.2022

कार्यकारिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि कुलपति ने सहायक प्राध्यापक के अनुबंध को मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया है।

कार्यकारिणी परिषद ने सहायक प्राध्यापकों के अनुबंध की अवधि को ऊपर उल्लेखित पूर्व अवधि की समाप्ति तिथि से एक वर्ष तक बढ़ाने के संबंध में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

का.प.40.3.3: पुस्तकालय अटेंडेंट के मूल वेतनमान में संशोधन

परिषद ने नोट किया कि यूजीसी ने दिनांक 1 अगस्त 2019 की पत्र संख्या: F.8-2/2019(JCRC) और दिनांक 8 जनवरी 2020 की पत्र सं F.8-2/2019 (JCRC) के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और यूजीसी द्वारा अनुरक्षित मानित विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सहायकों के कोर वेतनमान को वेतन मैट्रिक्स में लेवल 3 21700-69100 ग्रेड वेतन-2000 (ग्रेड वेतन- 2000 के साथ पूर्व-संशोधित पीबी-2) से वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 25500-81100/- (ग्रेड वेतन-2400 के साथ पूर्व-संशोधित पीबी- 2) में संशोधित करने के संदर्भ में अपनी स्वीकृति दी है।

तदनुसार, विश्वविद्यालय ने दिनांक 26.02.2020 को जारी अधिसूचना संख्या 47/2020 के तहत अधिसूचना जारी होने की तारीख से वेतन स्तर 3 से 4 तक वेतन में उर्धमुखी संशोधन किया है।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति की उपरोक्त कार्रवाई की पुष्टि की।

का.प40.3.4: सीएएस पदोन्नति के लिए कार्यकरिणी परिषद द्वारा नामित चयन समिति के सदस्य

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय ने कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के तहत विभिन्न विभागों के संकाय सदस्यों की पदोन्नति के लिए साक्षात्कार आयोजित किए। कुलपति ने कार्यकारिणी परिषद की ओर से निम्नलिखित विशेषज्ञों को चयन समिति में मनोनीत किया।

क्र.सं.	विभाग एवं किस चरण से किस चरण में	विशेषज्ञों का नाम	साक्षात्कार की तिथि
1.	वाणिज्य IV-V	प्रो. पी. नटराजन, वाणिज्य विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय	10.01.2022
		प्रो. डी. लेज़र, वाणिज्य विभाग	
2.	कंप्यूटर अनुप्रयोग एवं	प्रो सुदीप्त रॉय, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, असम	10.01.2022

	प्रबंधन IV-V	विश्वविद्यालय प्रो पंकज कुमार देवा शर्मा , कंप्यूटर विज्ञान विभाग , असम विश्वविद्यालय	
3.	राजनीति विज्ञान IV-V	प्रो. आशुतोष कुमार , राजनीति विज्ञान विभाग , पंजाब विश्वविद्यालय प्रो. के.पी. विजयलक्ष्मी , अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यापीठ , जेएनयू, दिल्ली	11.01.2022
4.	मानवशास्त्र IV-V	प्रो. फरहाद मलिक, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। प्रो. केवल कृष्ण, नृविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय।	11.01.2022
5.	प्रबंधन IV-V	प्रो. के.एन. बधानी , वित्त और लेखा , डीन (प्रशासन) और डीन (शैक्षणिक प्रभारी) , भारतीय प्रबंधन संस्थान , कुंडेश्वर, काशीपुर प्रो. सीपी गुप्ता, वित्तीय अध्ययन विभाग, साउथ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय	12.01.2022
6.	हिंदी I-II	प्रो. मोहन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग और डीन, कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय	17.02.2022
7.	नेपाल I-II	प्रोफेसर गीता निरोला , एसोसिएट प्रोफेसर और नेपाली विभाग के प्रमुख, एनबीबीडीजीसी, गंगटोक	17.02.2022
8.	अंतर्राष्ट्रीय संबंध I-II	प्रो. आशुतोष कुमार , राजनीति विज्ञान विभाग , पंजाब विश्वविद्यालय	17.02.2022
9.	राजनीति विज्ञान I-II	प्रो. आशुतोष कुमार , राजनीति विज्ञान विभाग , पंजाब विश्वविद्यालय	17.02.2022
10.	सूक्ष्म जीव विज्ञान I-II	डॉ. के. जयराम , वैज्ञानिक ई और प्रभारी , जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, ताडोंग, गंगटोक।	18.02.2022
11.	गणित I-II	प्रो अंजन रायचौधुरी , प्रोफेसर और अध्यक्ष , गणित विभाग, एसएमआईआईटी, मझीतर, पूर्वी सिक्किम	18.02.2022
12.	रसायनिकी II-III	प्रो. नयन कमल भट्टाचार्य, प्रोफेसर एवं प्रमुख, रसायन विज्ञान विभाग, एसएमआईआईटी, मझीतर, रंगपो, सिक्किम.	18.02.2022
13.	मनोविज्ञान IV-V	प्रो. नावेल इकबाल , मनोविज्ञान विभाग , जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली प्रो दमनजीत संधू, मनोविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय.	11.04.2022
14.	समाजशास्त्र IV-V	प्रोफेसर संजय कुमार रॉय , समाजशास्त्र विभाग, उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय. प्रो. एस.आर. मंडल , हिमालयन अध्ययन केंद्र , उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय.	11.04.2022

15.	विधि IV-V	प्रो. मोनिका चावला, विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय. प्रो. टी.एस.एन. शास्त्री , कुलपति, सिक्किम राष्ट्रीय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	12.04.2022
16.	उद्यानिकी IV-V	प्रो राधा मोहन शर्मा , भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान , पुणे, नई दिल्ली प्रो. बी. घोष , फल विज्ञान विभाग , बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नदिया, पश्चिम बंगाल	12.04.2022
17.	भूविज्ञान	प्रो देवेश सिन्हा , भूविज्ञान विभाग , उन्नत अध्ययन केंद्र , दिल्ली विश्वविद्यालय प्रो. एच.सी. नैनवाल , भूविज्ञान विभाग , एच.बी.एन. विश्वविद्यालय	12.04.2022
18.	शिक्षा IV-V	प्रो नमिता रंगनाथन, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रो. मोना यादव , अध्यक्ष, लिंग अध्ययन विभाग , एनसीईआरटी, नई दिल्ली	13.04.2022
19.	अंग्रेजी	प्रो. रश्मी अत्री , अंग्रेजी विभाग , अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ प्रो. मिथिलेश कुमार पाण्डेय , अंग्रेजी विभाग, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस.	11.05.2022
20.	इतिहास	प्रो कपिल कुमार, इतिहास संकाय, इग्नू, नई दिल्ली प्रो. कुमार रंजन , सदस्य सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	11.05.2022

कार्यकारी परिषद ने विभिन्न चयन समितियों में ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार विशेषज्ञों को नामित करने वाले कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

कार्यकारिणी परिषद ने कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष होने के नाते कुलपति को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर चयन समिति में विशेषज्ञों को नामित करने के लिए भी अधिकृत किया।

का.प. 39.3.5 : चल रही जांच का विस्तार

मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, कार्यकरिणी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कुलपति ने चल रही जांच को समाप्त करने के लिए दिनांक 01.02.2022 से 15.02.2022 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए प्रो. पीयूष रंजन अग्रवाल, जांच प्राधिकारी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

कार्यकारिणी परिषद ने कुलपति की उपरोक्त कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनर्थ विषय

का.प.40.4.1: तीन आरोपित संकाय सदस्यों के खिलाफ की गई जांच के लिए जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि कुलपति ने दिनांक 20 जनवरी 2021 को आयोजित परिषद की 36वीं बैठक में परिषद द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार दिनांक 27 अप्रैल 2021 को जारी कार्यालय आदेश 188/2021 के तहत सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 नियम 14 के तहत निम्नलिखित संकाय सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर जांच करने के लिए एक जांच प्राधिकारी (आईए) नियुक्त किया।

(1) प्रो. वी. कृष्ण अनंत, इतिहास विभाग (सीओ-1)

(2) डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य, सह प्राध्यापक, भौतिकी विभाग (सीओ-2)

(3) डॉ. विजय कुमार थंगेल्लापाली, सह प्राध्यापक, इतिहास विभाग (सीओ-3)

कार्यकारिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि सीसीएस (सीसीए) नियमावली 1965 के नियम 14 के तहत उपर्युक्त अधिकारियों के संबंध में जांच करने के बाद, जांच प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट सं. जा.प्रा./एस.यू./183, दिनांक 12-2-2022 प्रस्तुत की। के माध्यम से प्रस्तुत की। (पृष्ठ 688 तक क्रमांकित अनुलग्नक सहित पृष्ठ सं 1 से 121 तक) ।

विश्वविद्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रो. एस.एस. शर्मा ने कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रिपोर्ट के मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए।

गहन विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद ने जांच रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। सदस्यों ने कार्यकारिणी अधिकारियों के प्रयासों और मुख्य सतर्कता अधिकारी की भूमिका की सराहना की।

का.प40.4.2: सीएएस के तहत अगले चरण में नियुक्ति के लिए चयन समिति की कार्यवाही

कार्यकरिणी परिषद ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता पर मौजूदा यूजीसी विनियमों के तहत दिए गए विवरण के अनुसार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव पर यूजीसी विनियम 2018 अथवा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव पर यूजीसी विनियम 2010 और इसके बाद के संशोधन , जैसा भी लागू हो , के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में निम्नलिखित संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों और स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों को मंजूरी दी।

क्र.सं	नाम	विभाग	नियुक्ति का स्तर	नियुक्ति कि तिथि
1.	डॉ कोटरा राइन राम मोहन	मानव विज्ञान	IV (सह प्राध्यापक) से V प्रोफेसर	30.06.2020

2.	डॉ स्वरूप राय	कंप्यूटर अनुप्रयोग	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	05.10.2020
3.	डॉ. सत्यानंद पांडा	मनोविज्ञान	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	30.08.2020
4.	डॉ. प्रवीण मिश्रा	विधि	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	01.07.2020
5.	डॉ. नीलाद्रि बाग	उद्यानिकी	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	18.02.2021
6.	डॉ. अनिल कुमार मिश्रा	भूविज्ञान शास्त्र	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	29.11.2020
7.	डॉ. स्वाति ए. सचदेवा	समाज शास्त्र	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	16.07.2019
8.	डॉ. योदिदा भूटिया	शिक्षा	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	28.02.2021
9.	डॉ. वीनू पंत	इतिहास	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	04.09.2020
10.	डॉ॰ रोज़ी चामलिंग	अंग्रेज़ी	IV (सह प्राध्यापक) से V (प्रोफेसर)	31.03.2021
11.	डॉ. सोमेंद्रनाथ चक्रवर्ती	रसायनिकी	II (सहायक प्राध्यापक) से III (सहायक प्राध्यापक)	25.08.2020
12.	सुश्री स्वस्तिका प्रधान	राजनीति विज्ञान	I (सहायक प्राध्यापक) से II (सहायक प्राध्यापक))	23.11.2020
13.	डॉ दीपमाला रोका	अंतरराष्ट्रीय संबंध	I (सहायक प्राध्यापक) से II (सहायक प्राध्यापक))	03.08.2020
14.	डॉ. नमिता बेहरा	गणित	I (सहायक प्राध्यापक) से II (सहायक प्राध्यापक))	18.10.2021
15.	डॉ. नागेंद्र ठाकुर	सूक्ष्म जीव विज्ञान	I (सहायक प्राध्यापक) से II (सहायक प्राध्यापक))	30.10.2019
16.	डॉ. समर सिन्हा	नेपाली	I (सहायक प्राध्यापक) से II (सहायक प्राध्यापक))	07.04.2019
17.	डॉ. चुकी भूटिया	हिंदी	I (सहायक प्राध्यापक) से II (सहायक प्राध्यापक))	01.09.2020

(i) चयन समितियों ने सीएएस के तहत पदोन्नत होने में असफल रहे निम्नलिखित एसोसिएट प्रोफेसरों की कार्यवाही में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया :

i.	डॉ. अप्पल्ला नाग शंकर, वाणिज्य विभाग *उम्मीदवार सीएएस के तहत शैक्षणिक स्तर 13ए (एसोसिएट प्रोफेसर) से शैक्षणिक स्तर 14 (प्रोफेसर) में दोन्नति के लिए अस्वीकार किए जाने की तारीख अर्थात 10.01.2022 से एक वर्ष के बाद आवेदन कर सकते हैं।*
ii.	डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, राजनीति विज्ञान विभाग *उम्मीदवार सीएएस के तहत शैक्षणिक स्तर 13ए (एसोसिएट प्रोफेसर) से शैक्षणिक स्तर 14 (प्रोफेसर) में पदोन्नति के लिए अस्वीकार किए जाने की तारीख अर्थात 11.01.2022 से एक वर्ष पूरे होने पर आवेदन कर सकते हैं।*
iii.	डॉ. कृष्ण मुरारी, प्रबंधन विभाग *उम्मीदवार सीएएस के तहत शैक्षणिक स्तर 13ए (एसोसिएट प्रोफेसर) से शैक्षणिक स्तर 14 (प्रोफेसर) में पदोन्नति के लिए अस्वीकार किए जाने की तारीख अर्थात 12.01.2022 से एक वर्ष पूरे होने पर आवेदन कर सकते हैं,*

परिषद ने उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित संकाय सदस्यों के लिए चयन समितियों/स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया।

का.प 40.4.3: विश्वविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव

शैक्षणिक आदान-प्रदान और सहयोग की सुविधा के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद के विचारार्थ रखा गया है:

i) **कैवल्यधाम योग संस्थान, लोनावला और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन**

कार्यकारिणी परिषद ने कैवल्यधाम योग संस्थान और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दी और सहयोग के निम्नलिखित पहलुओं पर सहमति व्यक्त की

- संयुक्त शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियां;
- शैक्षणिक सामग्रियों और शाइस्खनिक प्रकाशनों का आदान-प्रदान;
- अनुसंधान, व्याख्यान और चर्चाओं के लिए संकाय सदस्यों का आदान-प्रदान;
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उसकी सच्ची भावना से लागू करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान।
- भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय विज्ञान के इतिहास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्यशालाएं
- एनईपी 2020 के तहत संयुक्त अल्पकालिक पाठ्यक्रम

ii) **भारतीय विज्ञान उत्कर्ष अनुसंधान अकादमी और सिक्किम विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन**

कार्यकारिणी परिषद ने बुनियादी अनुसंधान क्षेत्रों , प्रकाशनों, कर्मियों के आदान-प्रदान और अन्य परियोजनाओं में सहयोग करने के उद्देश्य से सिक्किम विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान उत्कर्ष अनुसंधान अकादमी के बीच समझौता ज्ञापन के मसौदे को मंजूरी दी , जो पारस्परिक लाभ और हित के होंगे। दोनों संस्थान अंतर्विषयक अनुसंधान और समग्र शिक्षा के लिए शैक्षणिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मौलिक शोधों को बढ़ावा देना चाहते हैं।

का.प. 40.4.4: शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित शिक्षकों ने प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि को एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यग्रहण की तिथि	परिवीक्षा समाप्त होने की तिथि
1	डॉ. हरदीप सिंह	सह प्राध्यापक	01.02.2021	31.01.2022
2	डॉ कनगराज के	सहायक प्राध्यापक	28.01.2021	27.01.2022
3	डॉ. शालिनी शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	02.02.2021	01.02.2022
4	श्री स्नेहल उलमान अजीत	सहायक प्राध्यापक	18.02.2021	17.02.2022

कार्यकरिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि उनके प्रदर्शन की समीक्षा संबंधित समीक्षा प्राधिकारी द्वारा की गई है और संतोषजनक प्रदर्शन रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के मद्देनजर कार्यकारिणी परिषद ने उनकी परिवीक्षा को समाप्त करने और उन्हें उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने की तारीख , जैसा की ऊपर उल्लेखित है, के अगले दिन से विश्वविद्यालय की सेवाओं में स्थायी करने की मंजूरी दे दी है।

का.प 40.4.5: विधि विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. वीर मयंक पर जुर्माना लगाने का आदेश

कार्यकारिणी परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 28.10.2021 को आयोजित परिषद की 38वीं बैठक में सीसीएस (सीसीए) नियमावली के नियम 16 के तहत डॉ. राम भवन यादव पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए जारी किया जाने वाला आरोप ज्ञापन को अनुमोदित किया गया था और उसे दिनांक 02.11.2021 को जारी किया गया था।

कार्यकारिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि डॉ. वीर मयंक ने ज्ञापन दिनांक 24.11.2021 के जवाब में अपना लिखित वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस पर कानूनी प्रतिधारक की राय मांगी गई। कानूनी प्रतिधारक की राय के अनुसार डॉ वीर मयंक ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए अपने अभ्यावेदन में कोई न्यायोचित कारण का उल्लेख नहीं किया है और सुझाव दिया है कि कार्यकारिणी परिषद सीसीएस (सीसीए) नियम के नियम 16 के तहत डॉ. वीर मयंक पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए अंतिम आदेश जारी करने का अनुमोदन कर सकती है और साथ ही लगाए जाने वाले दंड की मात्रा का सुझाव भी दे सकते हैं।

तदनुसार, कार्यकारिणी परिषद ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद कदाचार की तुच्छ प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और उनके आगे के करियर को ध्यान में रखते हुए सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत डॉ. वीर मयंक पर "निंदा" लगाने का संकल्प लिया।

का. प 40.4.6: सिक्किम विश्वविद्यालय में ग्रहणाधिकार नीति की समीक्षा

कार्यकारिणी परिषद ने नोट किया कि दिनांक 8 फरवरी 2019 को आयोजित परिषद की 32वीं बैठक में सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को ग्रहणाधिकार प्रदान करने के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी , जहां विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) ने बाहरी नियुक्ति हेतु उचित माध्यम से आवेदन किया था। चयनित होने पर वे नोटिस अवधि पर कोई भी हठ किए बिना उनके द्वारा धारित पदों के लिए ग्रहणाधिकार की मांग कर कर सकते है। बशर्ते कि वे केंद्र/राज्य सरकार या केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त/सांविधिक निकाय में चले जाएं जो सरकार की ओर से पूर्ण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं। ग्रहणाधिकार प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है , जिसे कार्यकारी परिषद के विवेक पर एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

कार्यकारिणी परिषद ने यह भी नोट किया कि 11.09.2020 को आयोजित अपनी 35वीं बैठक में परिचालन संबंधी कारणों को देखते हुए ग्रहणाधिकार देने के दिशा-निर्देशों को कुछ समय के लिए रोक कर रखा गया था और दिनांक 12.10.2020 को जारी अधिसूचना संख्या 154/2020 द्वारा अधिसूचित के अनुसार एक वर्ष के बाद समीक्षा की जानी थी। उस समय तक विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में चयनित होने वाले कर्मचारियों को केवल 3 महीने की अवधि के लिए ग्रहणाधिकार प्रदान किया जाता था।

चूंकि उक्त दिशानिर्देशों को रोक कर रखने की अवधि 11.10.2021 को समाप्त हो गई थी , अत: विचार-विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद ने कुलपति को इस मामले की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित करने और कर्मचारियों को ग्रहणाधिकार देने के संबंध में दिशा-निर्देशों तैयार करने के लिए अधिकृत किया।

खंड -5

प्राधिकारणों/समितियों के बैठकों का कार्यवृत्त

का.प 40.5.1: दिनांक 28 फरवरी 2022 को आयोजित वित्त समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त

कार्यकारिणी परिषद ने 28 फरवरी 2022 को आयोजित वित्त समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया। परिषद ने विचार करने के बाद निम्नलिखितों को विशेष स्वीकृति दी।

i) **वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वेतन , आवर्ती और पूंजीगत संपत्ति मदों के तहत वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान**

ii) **वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन**

खंड – 6

अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(के.वी.एस.कामेश्वर राव)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद